

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 9 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 11 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 11 अगस्त को 9 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारीए झोन प्रभारी व स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर बजरंग रेस्टोरेंटए संजय लुखवानी स्टेशन रोडए संजय सोलंकी वनोबा नगर पर 1000.1000ए राकेश पांचाल पावर हाउस रोडए जी.एस. गेहलोत पुनम वहार कालोनी व जवाहर नगर में एक अन्य व्यक्ति पर 500.500ए वजय एण्ड सन्स माणक चौक पर 250ए कैलाश पाटीदारए सोहन पावर हाउस रोड पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भवष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़ेए करण चौहानए वनय चौहान द्वारा की गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क शहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931ए श्री करण चौहान मो.नं. 7471144932ए श्री वनय चौहान मो.नं. 8770535145ए श्री वराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं.

6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन क्या जा रहा है वजन

11 अगस्त को 71 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 11 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित क्या जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालयों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन क्या जाकर जुलवानिया टे^a चंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 11 अगस्त बुधवार को 71 टन कचरा जुलवानिया टे^a चंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

11 अगस्त बुधवार को डम्पर व टे^a कटर ट्रॉली से 39390ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 27665ए मैजिक 4565 कलो इस तरह कुल 71620 कलो कचरा जुलवानिया टे^a चंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

आज 8 उ चत मूल्य की दुकानों पर बनेगें आयुष्मान कार्ड

नगर निगम द्वारा अब तक 6261 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

रतलाम 11 अगस्त। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डों की उ चत मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।

11 अगस्त गुरुवार को अभिजीत प्राथमक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित रतलाम तेजा नगर ब्लॉक 2ए माँ दरबार महिला प्राथमक उपभोक्ता भण्डार थावरिया बाजारए गीता महिला प्राथमक उपभोक्ता भण्डार मेहता जी का वासए ववेकानन्द प्राथमक उपभोक्ता भण्डार थावरिया बाजारए शांतिनाथ प्राथमक उपभोक्ता भण्डार रंगरेज मस्जिद ओझाखालीए राधका महिला प्राथमक उपभोक्ता भण्डार कसारा बाजारए जनहित महिला प्राथमक उपभोक्ता भण्डार धनजीभाई का नोहरा व न्यू आदर्श

प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार कॉलेज रोड पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

उच्चत मूल्य की दुकानों पर शहर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य के तहत अब तक 3718 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 6261 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडीए आधार कार्डए खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ उक्त उच्चत मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

पीएम स्वनिधी व एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण का हितग्राहियों को मल रहा है लाभ

रतलाम 11 अगस्त । नगर वधायक माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा पीएम स्वनिधी योजनान्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ वक्रता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सखी विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही एनयूएलएम के तहत हितग्राहियों को स्वरोजगार व स्वरोजगार समूह ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि पीएम स्वनिधी योजना में नगर पालक निगम निगम रतलाम को 5341 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 1840 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 779 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 463 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में नगर पालक निगम निगम रतलाम को 150 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 175 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से

14 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 11 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में नगर पालक निगम निगम रतलाम को 5 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 3 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 1 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 1 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ वक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त निगम के झोन कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करें रतलाम 11 अगस्त । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ वक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सद्धी वशेष अभयान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है क नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ वक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राश रूपये 10ए000६ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ० अम्बेडकर मांगलक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ वक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ वक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

1241 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा मवेशी पकड़ने के कार्य में बाधा पहुंचाने पर एफआईआर दर्ज की जायेगी

रतलाम 11 अगस्त । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों सड़कों चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्री में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 11 अगस्त तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 1241 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 11 अगस्त को ईदगाह रोड सैलाना रोड टीआईटी रोड आदि क्षेत्रों से 7 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

ईदगाह रोड व ओसवाल नगर में मवेशी पकड़ने के कार्य में बाधा पहुंचाने पर पवन प्रजापत व अन्य तथा संदीप व अन्य के वरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जा रही है।

शहर के सार्वजनिक स्थानों सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम वपरित है ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राश रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

नगर के व भन्न क्षेत्रों में फा गंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव रतलाम 11 अगस्त । वधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को डेंगू व मलेरिया से बचाने के लये नगर निगम व मलेरिया वभाग की संयुक्त टीम द्वारा 2 फा गंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में नगर निगम स्वास्थ्य वभाग अमले व मलेरिया वभाग की संयुक्त टीम द्वारा गत रात्रि को थावरिया बाजार ए धभाईजी का वास ए महलवाड़ा से मोचीपुरा रोड ए चार चक्की चौराहा ए जूनी कलालसेरी ए मोचीपुरा चौराहा ए शनि मंदिर रोड ए कालका माता ए पुराना कलेक्टोरेट ए गुलाब चक्कर ए नगर निगम सहित नगर के व भन्न क्षेत्रों में फा गंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। कीटनाशक दवा छिड़काव संपूर्ण शहर में अनवरत जारी रहेगा।

नगर निगम व मलेरिया वभाग द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है क वे मच्छर जनित डेंगू ए मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हेतु अपने आसपास गड्ढो में पानी एकत्रित ना होने दें साथ ही कूलर का पानी नियमत रूप से बदले ए पानी की टंक्यांे को खुला ना छोड़ें ए खुले मटके ए ड्रम ए टायर इत्यादि में पानी एकत्रित ना होने दें इसके अलावा अपने घरों से निकलने वाले कचरे को यहां-वहां ए नाले-नालयों में न डालते हुए निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें साथ ही अपने आसपास जल भराव की स्थिति पैदा न होने दें तभी हमारा शहर साफ-स्वच्छ व सुन्दर होने के साथ डेंगू तथा मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्त रह सकेगा।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये
आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने कये व्यापक प्रबंध
रतलाम 11 अगस्त । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित
परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लिए निगम स्तर पर की
जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया
ने निगम में व भन्न वभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद
किया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जीर्ण-शीर्ण
भवनों को चन्हित किया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा
क्षतिग्रस्त पु लयाओं को चन्हित कर रेडयम लगाने के निर्देश के साथ
जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले
नाला एवं नालियों के अतिक्रमण चन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के
नाले नालियों एवं बाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली
न रहे इसकी व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण वभाग
एवं कर्मशाला वभाग को सौंपी है।

अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति
की गई है जिसके तहत गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री वशाल
भटनागर मो० नं० 9300885504ए ईश्वर नगर वद्यालय भवन पर श्री मुकेश
मेहता मो० नं० 9629647211ए शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री वजय अग्रवाल
मो० नं० 9907454456ए अम्बेडकर मांगलक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश
संह सेंगर मो० नं० 7697052031ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप
उपाध्याय मो० नं० 9589944748ए धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री
कुलदीप भ मो० नं० 7471144027ए भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी
पर श्री महेश व्यास मो० नं० 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा. वद्यालय
सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो० नं० 9644000433 को नियुक्त किया
गया है । आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री विकास
मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त कये गये कर्मचारियों के
सहयोग से समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वतरण के लये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लये पम्प आदि की व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है।

जल की समुचित निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करनाए वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के वनिष्टीकरण की कार्रवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के व भन्न क्षेत्रों में छोटे एवं बड़े नाले-नालयों की वर्षा पूर्व समुचित सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्थाए सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की नियमत रूप से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक संसाधनए कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश हेतु टार्चए पेट्रोमेक्सए तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबंधत को दिये है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412.270563 स्थापत कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8.8 घन्टे की शफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा नाले नालयों की सफाईए वर्षा के जल को बड़े नालों में मलानाए वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नाले-नालयों का निर्माण करनाए अतिवृष्टि स्थल पर वद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करनाए आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखनाए तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबंधतों को दिये।

नागरिक व दुकानदार को वड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 11 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोवड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों एवं दुकानदारों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठी नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 11 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्राइवर एवं हैल्पर वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर एवं दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्राइवर एवं हैल्पर वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर एवं दुकान एवं गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर एवं दुकान एवं गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालकों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त

श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 11 अगस्त । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कें गलीएँ सार्वजनिक स्थलएँ नाले-नालयों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद हैं। वार्डों में गंदगीएँ कचरे के ढेरएँ नाले-नालयों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/11/08/2021/धन.पा.निगम/रतलाम.